pnb
Oriental United
Together for the better

शाखा कार्यालयः स्टेशन रोड, अजमेर
ई–मेलः bo0771@pnb.co.in मोबाई नं. 9887777846

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/यों के लिए)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 नियम 8 (1) सपठित परिशिष्ट IV के अनुसार

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) की धारा 13(12) सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी **श्री सैयद अहमद रजा चिश्ती पुत्र सैयद आसद अली राजवी चिश्ती (ऋणी) एवं इनके सह–ऋणीयों/बंधककर्ता श्रीमती मेहरीन बीबी पत्नी श्री हसन रजा एवं श्रीमती दुरई शावर पत्नी श्री अहमद रजा एवं श्रीमती शहाना बीबी पत्नी श्री आसद अली, पताः 160/20, रजा मंजिल, खादिम मोहल्ला, अजमेर** को मांग सूचना दिनांक **04.09.2021** (पंजाब केसरी व इण्डियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों में दिनांक 07.09.2021 को विधिवत प्रकाशित) पर सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर दिनांक 31.08.2021 तक बकाया राशि **रू. 36,94,331.30 (रूपये छत्तीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ इक्कतीस एवं तीस पैसे मात्र)** एवं अनुबंध की दर से आगे के ब्याज अन्य खर्चे लागतें, भुगतान होने की तिथि तक के लिये मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक **15 माह दिसम्बर, वर्ष 2021** को प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 की उपधारा (4) एवं धारा 13 के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है। ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार दिनांक 31.03.2021 तक बकाया राशि **रू. 36,94,331.30 (रूपये छत्तीस लाख चौरानवे हजार तीन सौ इक्कतीस एवं तीस पैसे मात्र)** एवं इससे भविष्य का ब्याज व अन्य खर्चे अनुबंध की दर पर व लागतों का पुनर्भुगतान होने की दिनांक तक करने के लिए **पंजाब नैशनल बैंक, शाखाः स्टेशन रोड, अजमेर** के प्रभार के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की उपधारा (8) एवं धारा 13 के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

(1)श्रीमती शहाना रजा बीबी पत्नी श्री आसद अली, (2) श्रीमती दुरई शावर बीबी पत्नी श्री अहमद रजा एवं (3)श्रीमती मेहरीन बीबी पत्नी श्री हसन रजा का आवासीय मकान जो एएमसी नं. 8/521=3/469=4/364, बाग इ असद, लाखन कोट्री, दरगाह बाजार, अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 499.62 वर्गफीट है एवं सीमाएं- उत्तरः भवन एएमसी नं. 363/4, मकान, दक्षिणः भवन एएमसी नं. 365/4, पूर्वः प्राईवेट मकान, पश्चिमः पैसेज व गली

दिनांकः 15.12.2021, स्थानः अजमेर
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

HeroHousing Finance

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 09, कम्प्यूनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार नई दिल्ली – 110057
फोन : 011 4926700, टोल फ्री सं. 1800 212 8800, ई–मेल : customer.care@herohfl.com
वेबसाइट : www.herohousingfinance.com | CIN : U65192DL2016PLC30148
संपर्क पता : भवन संख्या 07, दूसरा तल, कम्युनिटी सेंटर,
बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057

कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(1) के सहपठित परिशिष्ट–IV के अंतर्गत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधान के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए को निम्न मांग सूचना जारी उधारकर्ताओं को सूचना में उल्लेखित उक्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि चुकाने में असफल रहा है, एतद् द्वारा उधारकर्ता को विशेष रूप से और सामान्य रूप से सर्व–सामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(4) के सहपठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्न वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से सर्व–सामान्य को एतद् द्वारा आगाह किया जाता है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करें है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार निम्न राशि के लिए और उस पर ब्याज दण्डात्मक ब्याज, शुल्क लागत आदि के साथ निम्न उल्लेखित दिनांक से संदर्भित हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधिन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है ताकि प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाया जा सके।

ऋण खाता संख्या	बाध्यकार(रों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों)/कानूनी प्रतिनिधि(यों) के नाम	मांग सूचना की दिनांक/मांग सूचना अनुसार राशि	कब्जे की दिनांक (भौतक/सांकेतिक)
HHFDELHOU 19000003051	अंकुर सक्सेना, सत्यावति सक्सेना	02.07.2021, रुपये 20,31,716.19/– दिनांक : 01.07.2021 तक	भौतिक कब्जा 18/12/2021
प्रत्याभूत संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण : फ्लेट सं. एसएफ–3, एमआईजी, सामने की ओर, बांए हाथ की तरफ छत अधिकार सहित, प्लॉट सं. डी–93, ग्राम–सादउल्लाबाद, एस.एल.एफ. वेद विहार, परगना और तहसील–लोनी, जिला गाजियाबाद, उ.प्र.–201102, सुपर कवर्ड सुपर क्षेत्र 41.34 वर्ग मीटर यानी 445 वर्ग फुट। सीमांकन : उत्तर : अन्य भूमि, पूर्व : प्लॉट सं. डी–94,95,96, दक्षिण :30 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम : अन्य की भूमि।			
HHFDELLAP1 9000000839	श्री हरीश कुमार गुप्ता और आशा देवी गुप्ता	22.09.2021, रुपये 1,35,49,707/– दिनांक : 15/09/2021 तक	16/12/2021 (सांकेतिक)
प्रत्याभूत संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण : संपत्ति धारक सं.सी–1/11, भूतल का भाग संग संपूर्ण बाकी तल, राणा प्रताप बाग, जिसका कुल क्षेत्र 237 वर्ग गज (बंधक संपत्ति सामने की ओर भूतल का छोड़कर) का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन : उत्तरः संपत्ति सं.सी–1/10, पश्चिम : संपत्ति सं.सी–1/12, उत्तर : सर्विस लेन दक्षिण : सड़क।			

स्थान : दिल्ली **दिनांक :** 21 दिसम्बर 2021
हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, प्रति हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **मंजू अदलाखा और राजीव अदलाखा** को **12.05.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLDUB00244517** की राशि **रू. 78,54,079.87 (रूपये अठहत्तर लाख चौवन हजार उनासी और सत्तासी पैसा मात्र)** और **28.04.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **17.12.2021** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 78,54,079.87 (रूपये अठहत्तर लाख चौवन हजार उनासी और सत्तासी पैसा मात्र) 28.04.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नं. ए 0702, ब्लोक-ए, सातवीं मंजिल, गोदरेज ओएसिस, सेक्टर-88 ए, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, जो निम्ननुसार परिबध्द है -

पूर्व : टाइटल डीड के अनुसार **पश्चिम : टाइटल डीड के अनुसार**
उत्तर : टाइटल डीड के अनुसार **दक्षिण : टाइटल डीड के अनुसार**

सही/-
दिनांक : 17.12.2021 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : गुरूग्राम **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड**

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("आईएआरसीएल") प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **श्री. संदिप रॉय चौधरी C/O. लॉयड्स बैंक पी.एल.सी.** को **10.05.2018** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. S006OOX (आईएचएफएल का पूर्व कर्ज खाता नं. HHLLND00247181)** की राशि **रू.1,61,39,337/- (रूपये एक करोड़ इकसठ लाख उनतालीस हजार तीन सौ सैंतीस मात्र)** और **22.07.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी । पूर्व में **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड ("आईएचएफएल")** ने **इंडियाबुल्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के पक्ष में **इंडियाबुल्स एआरसी –X ट्रस्ट के ट्रस्ट्री** के रूप में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज **30.09.2019** को एक असाइनमेंट समझौते के माध्यम से सौपा है, इसके अलावा **इंडियाबुल्स एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडियाबुल्स एआरसी –X ट्रस्ट के ट्रस्ट्री** ने दिनांक **26.04.2021** के असाइनमेंट करार के माध्यम से **एसेट केअर एंड रिकन्स्ट्रक्शन एंटरप्राईज लिमिटेड ("एसीआरई")** के पक्ष में उपरोक्त कर्ज खाते के अपने सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज और कर्ज खाता जिसे एसीआरई की पुस्तकों में कर्ज खाता नं. **S006OOX** के रूप में पुन: क्रमांकित किया गया है, सौंपा है ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **17.12.2021** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू.1,61,39,337/- (रूपये एक करोड़ इकसठ लाख उनतालीस हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) 22.07.2021** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट / युनिट नं. टी6/1003 जिसका सुपर एरिया 2100 स्क्वे. फीट (195.09 स्क्वे. मीटर्स), दसवीं मंजिल पर, टॉवर- टी6, 'सनवर्ल्ड अरिस्टा' से पहचाने जानेवाले प्रोजक्ट में, प्लॉट नं. जीएच-1सी में स्थित, सेक्टर-168, नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा-201305, उत्तर प्रदेश एक कवर्ड कार पार्किंग के साथ

सही/-
दिनांक : 17.12.2021 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : नोएडा **असेट्स केअर एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन एन्टरप्राइजेस लि.**

BAJAJ FINSERV

बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः सेरेब्रम आईटी पार्क बी 2 बिल्डिंग 5 वीं मंजिल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र 411014.
शाखा कार्यालयः–बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दूसरी मंजिल, सिद्धार्थ टॉवर, 4–बी सचदेवा कॉलोनी मेन हरिद्वार रोड, निकट मंदाकिनी होटल देहरादून–248001 उत्तराखंड

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

मैसर्स बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा उन कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) को निम्नलिखित सूचना देता है जो अपने दायित्व का निर्वहन करने में असफल रहे अर्थात बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा उनको प्रदत्त गृह ऋण/सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण के मूलधन तथा ब्याज एवं उस पर आए अन्य प्रभारों का भुगतान करने में चूक की है और जिसके परिणामस्वरूप ऋण नॉन–पर्फामिंग आस्ति हो गये हैं। तदनुसार वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत तथा उसके नियमों के तहत उनके अन्तिम ज्ञात पतों पर सूचनाएं भेजी गयी थीं, हालांकि उन्हें अन–सर्व्ड/अनडिलीवर्ड वापस कर दिया गया, अतः इस प्रकाशन के माध्यम से उनके द्वारा समय–समय पर ली गयी सुविधाओं के तहत बकायों के भुगतान के लिए एतद्वारा कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) को सूचित किया जाता है।

ऋण खाता सं./कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों)/ जमानती(यों) के नाम एवं पते	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूत/बंधक अचल आस्ति/सम्पत्ति का पता	मांग सूचना की तिथि तथा राशि
शाखाः देहरादून **लैनः 545HML60562574 तथा 545THL60903506** **कर्जदार/ सह–कर्जदार** 1. अशोक कुमार अरोड़ा (कर्जदार) 2. तनु अरोड़ा (सह–कर्जदार) दोनों निवासी : 89, मन्नूगंज हकीकत राय नगर, मन्नूगंज, निकट राधा किशन मन्दिर, देहरादून–248001	अग्रलिखित गैर–कृषि सम्पत्ति का समस्त भाग : संपत्ति संख्या 27, नया नंबर 68/69, क्षेत्रफल माप वाला 69.17 वर्ग मीटर भूतल पर निर्मित क्षेत्र के साथ माप 69.17 वर्ग मीटर और पहली मंजिल माप 69.17 वर्ग मीटर, कुल निर्मित क्षेत्र 138.34 वर्ग मीटर, डांडीपुर मोहल्ला देहरादून 248001 देहरादून उत्तराखंड–248001, सीमाएँ, पूर्वः आम दीवार और उसके बाद श्री इंद्रजीत सिंह और अन्य की संपत्ति, पश्चिमः श्रीमती शकुंतला की संपत्ति, उत्तरः आम आबचक, दक्षिणः 11 फीट 6 इंच चौड़ी गली	21 अक्टूबर 2021 रुपये 24,27,368/– (रुपये चौबीस लाख सत्ताईस हजार तीन सौ अड़सठ मात्र)

सूचना की वैकल्पिक सर्विस के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। उपर्युक्त कर्जदारों तथा/अथवा सहकर्जदारों, जमानतियों को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज सहित बकाया भुगतान करने का परामर्श दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर (बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह रहित) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(4) तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत प्रतिभूत आस्तियों/बंधक सम्पत्ति का कब्जा करने के लिए भावी कदम उठाये जायेंगे।

उपर्युक्त नामधारी पक्षकारों को उपर्युक्त सम्पत्तियों में तृतीय पक्ष का हित हस्तान्तरित न करने, सृजित न करने का परामर्श दिया जाता है, जिस पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्रभार है।

तिथि : 21.12.2021 स्थान : देहरादून
ह./– अधिकृत प्राधिकारी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLHDW00302439 1. जयवीर सिंह 2. उमा 3. अंकित कुमार	प्लॉट नं. (एस) का हिस्सा 74 और 75, खसरा नं. 408, महादेवपुरम कॉलोनी फेज–2, ग्राम रावली महदूद, सिडकुल बाय–पास रोड, परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार, हरिद्वार–249403, उत्तराखंड	26.10.2021	रु. 18,74,029.13 (रुपए अठ्ठारह लाख चौहत्तर हजार उनतीस और तेरह पैसे मात्र) 26.10.2021 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है ।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है । परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है ।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागते, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी ।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्ची, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'' ।

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं ।

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए
स्थानः मेरठ/हरिद्वार **प्राधिकृत अधिकारी**

ICICI Bank

पंजी. कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, निकट चकली सर्किल, ओल्ड पाड्रा रोड, वडोदरा–390 007, गुजरात
कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई), मुंबई–400051
आंचलिक कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, एनबीसीसी प्लेस, प्रगति विहार, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली–110003
[नियम – 8(1)]
कब्जा सूचना

जबकि,

अधोहस्ताक्षरी ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (**"आईसीआईसीआई बैंक"**) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (**"अधिनियम"**) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (**"उक्त नियमावली"**) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धरा 13(2) के तहत एक मांग सूचना दिनांकित 12 अगस्त, 2021 जारी की थी (**"उक्त सूचना"**), जिसमें मैपल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (**"कर्जदार"**) और इसके गारंटरों तथा बंधकदाताओं (सामूहिक रूप से **"आबंधक"** कहे गए हैं) से उक्त सूचना में वर्णितानुसार 31 जुलाई, 2021 तक बकाया राशि रू. 23,090,355.4 (रू. तेईस मिलियन नब्बे हजार तीन सौ पचपन तथा पैसे चालीस मात्र) उस पर दिनांक 01–08–2021 से भुगतान/वसूली की तिथि तक संविदात्मक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

उपरोक्त कर्जदार/आबंधक उपरिवर्णित राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार/आबंधकों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों ने निम्न विनिर्दिष्ट अचल सम्पत्ति का कब्जा 17 दिसम्बर, 2021 को ले लिया है।

उपरोक्त कर्जदार/आबंधकों को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक की 31 जुलाई, 2021 तक बकाया राशि रू. 23,090,355.4 (रू. तेईस मिलियन नब्बे हजार तीन सौ पचपन तथा पैसे चालीस मात्र) उस पर दिनांक 01–08–2021 से भुगतान/वसूली की तिथि तक संविदात्मक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार/आबंधक का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

मैसर्स वर्ल्ड विन्डो फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम, राजस्व सम्पदा ग्राम लोनी (चकबंदी एरिया), तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित खाता नंबर 902, खसरा नंबर 1210 में शामिल भूमि परिमाप 0.2730 हेक्टेयर, उसके ऊपर सभी बिल्डिंग्स एवं स्ट्रक्चर्स, फिक्सचर्स, फिटिंग्स और भूमि के साथ संलग्न अथवा भूमि के साथ स्थायी रूप से जुड़ी किसी चीज के साथ संलग्न प्लाण्ट एवं मशीनरी, वर्तमान और भावी दोनों सहित।

तिथि : 17 दिसम्बर, 2021 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : लोनी, गाजियाबाद **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड**

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HLAPMAT00309773 1. पूरन सिंह 2. रजनी देवी 3. सौदान सिंह 4. मनेंद्र कुमार सिंह 5. किशोर कुमार सिंह	रेजिडेंशियल हाउस नं. 84, मोती कुंज, रेलवे कॉलोनी, सहयोग पब्लिक स्कूल के पास, मथुरा, उत्तर प्रदेश – 281001	25.10.2021	रु. 22,58,718.70 (रुपए बाईस लाख अठ्ठावन हजार सात सौ अठ्ठारह और सत्तर पैसे मात्र) 25.10.2021 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क्र. HLAPMAT00377165 1. पवन अग्रवाल 2. लक्ष्मी रानी	प्लॉट नं. 1/1 पर स्थित कमर्शिअल प्रॉपर्टी और शॉप नं. का पार्ट 1/1, जल दर नं. 259/77 2 बी, खसरा नं. 10, महोली रोड, इंद्रपुरी कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश – 281001	25.10.2021	रु. 29,58,288.24 (रुपए उनतीस लाख अठ्ठावन हजार दो सौ अठ्ठासी और चौबीस पैसे मात्र) 25.10.2021 के अनुसार
3.	कर्ज खाता क्र. HLAPMAT00193883 1. धर्मेंद्र कुमार मालिक माँ वैष्णो ट्रेडिंग कंपनी 2. अजीत सिंह 3. मनोज कुमार 4. शांति देवी	प्लॉट नं. 285 और 286 का हिस्सा, मौजा पाली खेड़ा, श्री नाथ पुरम कॉलोनी, मथुरा–281004, उत्तर प्रदेश	26.10.2021	रु. 24,25,224.03 (रुपए चौबीस लाख पच्चीस हजार दो सौ चौबीस और तीन पैसे मात्र) 26.10.2021 के अनुसार
4.	कर्ज खाता क्र. HHLMAT00145759 1. रूप किशोर गोला 2. प्रमिला	प्लॉट नं. 5 एवं 6, श्री राधाकृष्णन धाम, मथुरा–281001, उत्तर प्रदेश	26.10.2021	रु. 9,58,451.37 (रुपए नौ लाख अठ्ठावन हजार चार सौ इक्यावन और सैंतीस पैसे मात्र) 26.10.2021 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है ।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है । परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है ।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागते, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी ।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्ची, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'' ।

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं ।

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए
स्थानः मथुरा **प्राधिकृत अधिकारी**

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLAGR00496905 1. राज कुमार 2. महिमा	प्रॉपर्टी बिअरिंग नं. 43/401, पुरानी अवाडी, सिकंदरा बहिस्ताबाद, तहसील और जिला आगरा, आगरा–282007, उत्तर प्रदेश	26.10.2021	रु. 17,06,840.61 (रुपए सत्रह लाख छः हजार आठ सौ चालीस और इकसठ पैसे मात्र) 26.10.2021 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है ।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है । परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है ।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागते, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी ।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्ची, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता'' ।

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं ।

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए
स्थानः मथुरा/आगरा/पलवल **प्राधिकृत अधिकारी**

---

kotak

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पू.), मुम्बई-400 051.
शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
कार्पोरेट पहचान सं. : L65110MH1985PLC038137 www.kotak.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी सह बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार(रों), जमानती(यों) तथा/अथवा बंधककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (''प्रतिभूत लेनदार'') के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यों), जिस पर प्रतिभूत लेनदार अधिकृत प्राधिकारी ने कब्जा कर लिया है, कर्जदार/रों नामतः 1. मैसर्स जे. प्रसाद एण्ड कं. प्रा.लि. (कर्जदार) तथा 2. श्रीमती अविनाश चावला (जमानती/बंधककर्ता), तथा 3. श्री अमित चावला (जमानती/बंधककर्ता) से प्रतिभूत लेनदार होने के नाते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के 30 सितम्बर, 2019 तक बकाया रु. 22,66,15,651.00/– (रुपये बाईस करोड़ छियासठ लाख पन्द्रह हजार छः सौ इक्यावन मात्र) तथा भुगतान/वसूली की तिथि तक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना पर अनुबन्धात्मक ब्याज पर उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों की वसूली हेतु ई–नीलामी के माध्यम से''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर दिनांक 7 जनवरी, 2022 को बिक्री की जायेगी। नीलामी हेतु रखी अचल सम्पत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि तथा नीलामी कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	बंधककर्ता/ ओं के नाम	ई–नीलामी पर रखी अचल/चल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु.)
1.	श्रीमती अविनाश चावला	चार दुकानों तथा एक गोदाम भूतल पर तथा मेजेनाइन फ्लोर (पार्टीशन विलेख दिनांक 02.03.2000 सहित संलग्न साइट प्लान में लाल रंग में प्रदर्शित (कथित भाग) का सम्पूर्ण हिस्सा, सम्पत्ति सं. 29/1, माप 336.39 वर्ग गज, शक्ति नगर, रोशनआरा एक्सटेंशन स्कीम, दिल्ली में स्थित, साथ ही कथित बंधक की तिथि से/के बाद किसी भी समय उस पर निर्मित/तैयार हो सकने वाली बिल्डिंग एवं संरचना सहित समस्त वर्तमान भवन एवं संरचना और समस्त उसके समस्त संवर्धन तथा फिक्सचर एवं फर्नीचर और पृथ्वी से संलग्न या पृथ्वी से स्थायी रूप से संलग्न किसी भी वस्तु पर वर्तमान तथा भावी दोनों संयन्त्र एवं मशीनरी।	रु. 13,61,00,000/– (रुपये तेरह करोड़ इकसठ लाख मात्र) रु. 1,36,10,000/– (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख दस हजार मात्र)

अधोहस्ताक्षरी अपने पूर्ण विशेषाधिकार तथा सम्भावित क्रेताओं से पूर्व में प्राप्त निवेदन पर अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से उपर्युक्त सम्पत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था 27 दिसम्बर, 2021 को 12:00 बजे अप. से 03:00 बजे अप. तक की जायेगी।

महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें:–

1. ई–नीलामी केवल ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' के माध्यम से वेबसाइट https://kotakbank.auctiontiger.net पर 7 जनवरी, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. से 12 बजे दोपहर के बीच 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित संचालित की जायेगी।
2. ई–नीलामी के विवरण हेतु इच्छुक संविदाकार सम्पर्क करें : मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी–704–5, वॉल स्ट्रीट–II, सामने ओरिएन्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, सम्पर्क व्यक्ति राम शर्मा–06351896834, ई–मेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, हेल्पलाइन नं. 079–61200595/520/548. हेल्पलाइन ई–मेल : support@auctiontiger.net.
3. इच्छुक संविदाकार नीलामी विवरण तथा बिक्री के नियम एवं शर्तों हेतु बैंक की वेबसाइट : https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देख सकते हैं।
4. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए संविदाकारों को पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net देखने की सलाह दी जाती है तथा कथित नियम एवं शर्तें संविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले संविदाकारों के लिए बाध्यकारी होंगी।
5. यह निवेदन है कि इच्छुक संविदाकारों को संविदा तथा अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net से लॉगिन आईडी सृजित करना अनिवार्य है। संविदाएँ 6 जनवरी, 2022 को 4.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net पर संविदाकार/रों के केवाईसी दस्तावेजों सहित केवल निर्धारित प्रारूप में जमा/अपलोड की जानी है तथा विधिवत भरे हुए एवं हस्ताक्षरित संविदा दस्तावेज एवं संविदाकार/रों की केवाईसी मेल द्वारा Vikram.sharma@kotak.com तथा Viswanadham.akondi@kotak.com पर भेजी जानी हैं। संविदाकार ई–मेल के विषय खण्ड में ''मैसर्स जे प्रसाद एंड कं. प्रा.लि. के खाते में सम्पत्ति की खरीद हेतु'' लिखेंगे।
6. सम्भावित संविदाकार लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करने तथा ऑनलाइन संविदा प्रक्रिया आदि के लिए मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) से उपर्युक्त सम्पर्क नम्बरों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं।
7. जमा धरोहर राशि (ईएमडी) 6 जनवरी, 2022 को 4.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व खाता सं. 06410125272001, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुम्बई, आईएफएससी कोड : ङङइङ0000958 में आरटीजीएस/फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जानी है। ईएमडी राशि जमा किये बिना कोई संविदा स्वतः ही अस्वीकृत हो जायेगी। प्रस्तावित संविदाकार द्वारा जमा ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
8. जमा की गयी संविदा राशि आरक्षित मूल्य के बराबर/या अधिक होगी और संविदा प्रक्रिया के दौरान जिन्होंने संविदाएँ जमा कर दी हैं वे रु. 2,00,000/– (रुपये दो लाख मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ायेंगे।
9. यदि संविदा ई–नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के अन्तिम 5 मिनट में रखी जाती है तो बन्द होने का समय ऊपर उल्लिखित के अनुसार स्वतः ही तुरन्त अगले 5 मिनट के लिए बढ़ जायेगा।
10. सफल संविदाकार को ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही बन्द होने के तुरन्त बाद ई–नीलामी की तिथि पर कार्यालयी घण्टे बन्द होने पर अगले कार्यकारी दिवस पर उपर्युक्त माध्यम से उच्चतम बोली राशि (पहले से प्रदत्त ईएमडी सहित) का 25% जमा करना होगा। उच्चतम संविदा राशि का शेष 75% सफल संविदाकार को बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि प्रदान करने की तिथि के 15 दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी के एकमात्र विवेक द्वारा ऐसे विस्तारित अवधि तक जो सरफाएशी अधिनियम, 20 02 तथा प्रतिभूति हित नियम, 2002 के प्रावधानों के भीतर हो, जमा करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि बिक्री कार्यवाही के भुगतान की समय–सीमा नहीं बढ़ाई जायेगी और सफल संविदाकार को किसी भी कारणवश निर्धारित समय–सीमा में भुगतान करने में असफल होने पर किसी दैवीय आपदा का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
11. उच्चतम बोलीदाता को अपने पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र निर्गत होने तक सम्पत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं होगा जो सम्पूर्ण नीलामी राशि एवं अन्य आकस्मिक व्ययों की वसूली के अध्यधीन होगा। बिक्री उस प्रभाव तक ई–नीलामी की शर्तों एवं नियमों तथा प्रतिभूत लेनदार की पुष्टि के अध्यधीन होगी।
12. यदि सफल संविदाकार सम्पूर्ण संविदा/नीलामी राशि जमा करने में असफल रहता है तो सफल संविदाकार द्वारा पहले से जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और चूककर्ता संविदाकार का न तो सम्पत्ति और न ही जमा की गयी राशि पर कोई दावा होगा। अधिकृत प्राधिकारी को नीलामी की सम्पत्ति/यों के परिप्रेक्ष्य में सरफैसी अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित नियम, 2002 के प्रावधानों के नियमएवं शर्तों के तहत उसे उपलब्ध एक या एक से अधिकारों का उपयोग करने की स्वतन्त्रता है।
13. उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर सम्पूर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति पर अधिकृत प्राधिकारी विक्रय प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे, इसके पश्चात बिक्री पूरी हो जायेगी और कोटक महिन्द्र बैंक लिमिटेड किसी दावे को स्वीकार नहीं करेगा।
14. बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम से जारी किया जायेगा जिस नाम से संविदा जमा की गयी है। संविदा में उल्लिखित व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम बिक्री प्रमाणपत्र में समाविष्ट/प्रतिस्थापित करने हेतु कोई निवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. बिक्री प्रमाणपत्र संचालित नीलामी हेतु सफल संविदाकार/संविदाकार(रों) को जारी किया जायेगा।
16. असफल संविदाकार/रों की ईएमडी राशि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में बिना किसी ब्याज के 10 (दस) दिनों के भीतर वापस कर दी जायेगी।
17. अधिकृत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी संविदा का स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा अधिसूचित नीलामी बिक्री को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार है। संविदा जमा करने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगन/निरस्तीकरण की स्थिति में, संविदाकारों द्वारा जमा की गयी ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी और संविदा अस्वीकार करने की स्थिति में अधिकृत प्राधिकारी किसी भी संविदाकार या अन्य पक्षों से निजी संधि द्वारा सम्पत्ति की बिक्री हेतु मोल–भाव कर सकते हैं।
18. यहाँ ऊपर निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के सर्वोत्तम जानकारी पर कहे गये हैं किन्तु अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि, यह आमंत्रण संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए है और नीलामी को प्रभावित करने के लिए अधिकृत अधिकारी या कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व नहीं बनाता है। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व के किसी भी इच्छुक पार्टी/संभावित निवेशक/बोलीदाता को प्रक्रिया को रद्द या संशोधित करने और/या स्वीकार नहीं करने और/या अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
19. संभावित बोलीदाताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मैंने आगाह किया है कि बैंक के पास यहां ऊपर उल्लिखित पूरी संपत्ति का भौतिक कब्जा है, सिवाय एक दुकान के जो विवादित काश्तकारी के अधीन है। पट्टेदार/किरायेदार ने माननीय डीआरटी–ककक् नई दिल्ली के समक्ष डायरी संख्या एनडीएन/394/2021 के माध्यम से विवादित परिसर में एक दुकान क्षेत्रफल 25 वर्ग तथा 12 वर्ग गज क्षेत्रफल का ए मेजेनाइन फ्लोर जो बड़े प्लॉट का हिस्सा, पता, 29/1, नागिया पार्क, शक्ति नगर, दिल्ली –7 ('किरायेदार परिसर') के लिए एसए दाखिल किया है और परिसर से परिप्रेक्ष्य में 'अविनाश चावला बनाम दर्शन लाल चावला' शीर्षक से ई नं. 02/17, नया नं. 18/17, जो कि रेंट कंट्रोलर, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष लंबित है के लिए वाद दाखिल किया है। बैंक माननीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष किरायेदारी के दावे का उचित रूप से बचाव कर रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार को उपरोक्त वर्णित विवाद को छोड़कर नीलामी के अंतर्गत संपत्ति के संबंध में किसी अन्य मुकदमे/दावे/विवाद की जानकारी नहीं है।
20. इच्छुक संविदाकारों को स्थानीय प्राधिकरणों के बकायों जैसे निगम कर, रखरखाव/सोसाइटी प्रभार, बिजली तथा पानी के प्रभार एवं अन्य बकाये या कर सहित अन्तरण प्रभार/शुल्क के सम्बन्ध में स्वतन्त्र पूछताछ कर लेने का परामर्श दिया जाता है। बैंक के अधिकृत प्राधिकारी नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रभार, लिएन, ऋण भार अथवा सरकार या किसी अन्य के बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक संविदाकारों को सम्पत्ति के दायित्व, एरियर, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के ऋण भार से सम्बन्धित अपनी स्वतन्त्र पूछताछ करने का परामर्श दिया जाता है।
21. पंजीकरण प्रभार, स्टैम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी विधिक बकाये/अन्य बकाये क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।
22. वर्तमान सूचना के तहत नीलामी–सह–बिक्री पर रखी सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में अन्तरण प्रभार/शुल्क सहित सभी बाह्य प्रभार जैसे निगम कर, रखरखाव/सोसाइटी प्रभार, बिजली एवं पानी के प्रभार तथा अन्य बकाये केवल सफल संविदाकार/क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।
23. सभी अन्य आकस्मिक प्रभार (वर्तमान नीलामी के तहत सम्पत्ति के संरक्षण हेतु प्रतिभूत प्रभार अथवा रखरखाव प्रभार सहित किन्तु सीमित नहीं) बिक्री प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से एकमात्र उच्चतम संविदाकार द्वारा वहन किये जायेंगे, जिसे बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण से पूर्व बैंक को निस्तारित/प्रतिपूर्तित करना होगा। हालाँकि अधिकृत प्राधिकारी के एकमात्र विवेक से भविष्य में बिना किसी अनुगामी समायोजन के तर्कपूर्ण एवं उपयुक्त विलम्ब में छूट दी जा सकती है।
24. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार यदि बिक्री वसूली रु. 50,00,000.00 (रुपये पचास लाख मात्र) या इससे अधिक की है तो इस पर टीडीएस प्रयोज्य होगा। सफल संविदाकार/क्रेता कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में बिक्री मूल्य से प्रयोज्य टीडीएस घटायेगा और इसे आयकर विभाग के पास जमा करेगा और कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पास टीडीएस जमा करने के प्रमाण का चालन तथा प्रपत्र 26क्यूबी/टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा।
25. सम्पत्ति की बिक्रीइसमें उल्लिखित के अनुसार नियम एवं शर्तों पर''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी, किन्तु अधिकृत प्राधिकारी को नियम एवं शर्तों में किसी को भी परिवर्तित करने का पूर्ण विशेषाधिकार होगा। संविदाकारों को सम्बन्धित सम्पत्ति के विषय में किसी ऋणभार, उपरजिस्ट्रार कार्यालय तथा राजस्व रिकार्ड एवं निगम रिकार्ड तथा अन्य प्रशासनिक सरकारी रिकार्ड की खोजबीन करने की सलाह दी जाती है और वे संविदा जमा करने से पूर्व सम्पत्ति की प्रकृति तथा विवरण, दशा, किसी ऋणभार, लिएन, प्रभार, विधिक देयताओं आदि के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट कर लें। कृपया ध्यान दें कि नीलामी के तहत सम्पत्ति/यों/आस्तियों के फिटनेस/स्वामित्व के सम्बन्ध में बैंक/अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार कोई गारंटी या कोई प्रतिनिधान नहीं देते हैं। बिक्री/नीलामी दृढ़ता से एवं उपचार रहित आधार पर होगी।
26. बैंक द्वारा समस्त लागतों, प्रभारों तथा उन पर या उसके अंश पर जो बैंक को स्वीकार्य हो, किये गये व्ययों सहित बकाये विक्रय हेतु निर्धारित तिथि को या इससे पूर्व किसी भी समय कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं द्वारा/उनकी ओर से अदा कर दी जाती है तो आस्ति की नीलामी/बिक्री निरस्त की जा सकती है।
27. अधिकृत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए यदि अस्वीकार्य प्रतीत हो तो किसी संविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार्य होने पर समस्त संविदाओं को अस्वीकार करने, विलम्बित/निरस्त/स्थगित/अनिरन्तर करने अथवा किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।
28. किसी भी लंबित कानूनी मामलों / चल रहे मुकदमों / बेदखली के नोटिस के साथ संपत्ति का विवरण बोली दस्तावेज में प्रकट किया गया है और नीलामी में भाग लेने से पहले अनिवार्य रूप से देखा जाना है। यह माना जायेगा कि संविदाकार ने विक्रय के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वह कथित नियमों एवं शर्तों से बाध्य है।
29. संविदाकारों को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पॉवर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। बैंक इंटरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर अथवा तकनीकी कारणों या ई–नीलामी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण किसी बाधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
30. कोटक महिन्द्रा बैंक अथवा इसके कर्मचारी विक्रय हेतु रखी सम्पत्ति/यों के परिप्रेक्ष्य में किसी व्यक्ति से किसी दावे हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे।
31. यह सूचना बैंक की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात www.kotak.com पर भी अपलोड है और इच्छुक पार्टियाँ इसे देख भी सकती हैं।
32. अधिक विवरण के लिए बैंक के अधिकृत प्राधिकारी श्री विक्रम शर्मा (मोबाइल नं. +91–9667221449) अथवा बैंक अधिकारी श्री अजय निगम (मोबाइल नं. +91–7291971536) तथा श्री दीपांशु सिंह (मोबाइल नं. +91–99539–65199) से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) तथा 9(1) के तहत 15 दिवसीय विधिक विक्रय सूचना

कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा अद्यतन ब्याज तथा व्ययों सहित देवताओं को पूर्ण भुगतान करने तथा उपर्युक्त बकायों का इस सूचना की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर ''प्रतिभूत आस्ति'' (ऊपर उल्लिखित) की बिक्री उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार कर दी जायेगी।

स्थान : दिल्ली **अधिकृत प्राधिकारी**
तिथि : 20 दिसम्बर, 2021 **कृते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड**